

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 4(39)नविदि/II/2022

जयपुर, दिनांक:

05 OCT 2023

--:आदेश:-

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में अनुभाग अनुसार स्वीकृत पदों के सामने अंकित नवीन पदों के सृजन/पदों को विलोपित (समाप्त) किये जाने की सहमति के पश्चात् संशोधित स्ट्रेन्थ हेतु वित्त विभाग की सहमति रेप्सर एक्ट के तहत निम्नवत प्रदान की जाती है:-

(1) प्रशासनिक अनुभाग
ADMINISTRATIVE SECTION

S.No.	Post	Sanctioned Posts			Abolition/Creation of Posts		
		Permanent	Temporary	Total	Abolition	Creation	Revised Strength
1.	JOINT REGISTRAR	1	0	1	1	0	0
2.	DY.COMMISSIONER/ AUTHORISED OFFICERS	25	4	29	0	2	31
3.	DY. REGISTRAR(CO-OP)	3	0	3	2	0	1
4.	ASSTT. REGISTRAR	2	1	3	3	0	0
5.	PRIVATE SECRETARY	15	0	15	3	0	12
6.	OSD(INFORMATION)	1	0	1	1	0	0
7.	REHABILITATION OFFICER	1	0	1	1	0	0
8.	SR. PERSONAL ASSISTANT (APS)	15	1	16	14	0	2
9.	PERSONAL ASSISTANT (PA-I)	10	0	10	5	0	5
10.	STENOGRAPHER (PA-II)	21	0	21	8	0	13
11.	SR. ASSISTANT	81	0	81	0	9	90
12.	JR. ASSISTANT	282	13	295	0	15	310
13.	STATISTICAL ASSISTANT	1	0	1	1	0	0
14.	INSPECTOR LAND RECORD	1	0	1	1	0	0
15.	CO-OPERATIVE INSPECTOR	4	2	6	5	0	1
16.	TELEPHONE OPERATOR	4	0	4	4	0	0
17.	LIFT OPERATOR	4	0	4	4	0	0
18.	MACHANIC GRADE-I	1	0	1	1	0	0
19.	AUTOMOBILE SUPERVISOR	1	0	1	1	0	0
20.	CHOKIDAR	13	0	13	13	0	0
21.	MUNSHI(TRAINED)	3	0	3	3	0	0
22.	MUNSHI(UNTRAINED)	3	0	3	3	0	0
23.	CARETAKER	1	0	1	1	0	0
24.	MOHARIR	2	0	2	2	0	0
25.	MACHINE MAN	1	0	1	1	0	0
26.	CHAIN MAN	1	0	1	1	0	0
27.	BHISTI	2	0	2	2	0	0
28.	SWEEPER	3	0	3	3	0	0
	TOTAL	502	21	523	84	26	465

नोट:-

1. प्रशासन अनुभाग में 84 पदों को समाप्त एवं 26 पदों का सृजन किया जाता है।
2. तालिका में दर्शित पदनामों के अतिरिक्त अन्य पदनामों की स्वीकृत पद संख्या पूर्ववत ही रहेगी।
3. Director/OSD (Land/LC/LPC) पद का नाम अतिरिक्त आयुक्त (LPC and Land Bank) किया जाता है।
4. अतिरिक्त आयुक्त (पी.आर.एन.) का नाम अतिरिक्त आयुक्त (पी.आर.एन. एवं पुनर्वास) किया जाता है।

5. Additional Commissioner (East/West) का नाम अतिरिक्त आयुक्त किया जाता है।
6. उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी के कुल 31 पदों में से 21 राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं शेष 10 पद जयपुर विकास प्राधिकरण सेवा के होंगे।
7. लिफ्ट ऑपरेटर का पद वर्तमान कार्मिक की सेवानिवृत्ति पर स्वतः समाप्त हो जावेगा।

(2) अभियांत्रिकी अनुभाग

S.No.	Post	Sanctioned Posts			Abolition/Creation of Posts		
		Permanent	Temporary	Total	Abolition	Creation	Total
1.	SUPDT. ENGINEER	14	0	14	0	10	24
2.	EXECUTIVE ENGINEER	43	02	45	1	0	44
3.	ASSTT. ENGINEER	83	04	87	9	0	78
4.	MISTRI-II	23	0	23	10	0	13
5.	HELPER (Engineering)	47	0	47	47	0	0
6.	WIREMAN GRADE-I	2	0	02	1	0	1
7.	WIREMAN GRADE-II	3	0	3	3	0	0
8.	FITTER-II	3	0	3	3	0	0
9.	PUMP DRIVER-II	3	0	3	2	0	1
10.	DY. ENGINEER/SURVEYER	1	0	1	1	0	0
	TOTAL	222	6	228	77	10	161

नोट-

1. अभियांत्रिकी अनुभाग में 77 पदों को समाप्त करते हुये 10 पदों का सृजन किया जाता है।
2. तालिका में दर्शित पदनामों के अतिरिक्त अन्य पदनामों की स्वीकृत पद संख्या पूर्ववत् ही रहेगी।
3. जयपुर विकास प्राधिकरण में भविष्य में अभियांत्रिकी सेवा में कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता के पदों पर नवीन नियुक्तियां नगरीय विकास विभाग के माध्यम से किये जाने का प्रावधान किया जाता है।
4. अभियांत्रिकी अनुभाग में मुख्य अभियंता एवं निदेशक स्तर के 2 पद प्रतिनियुक्ति के स्थान पर जविप्रा के सेवा नियमों के अनुसार प्राधिकरण सेवा के अभियंताओं की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु परिवर्तित किया जाता है। उक्त स्वीकृत 2 पदों के विरुद्ध वर्तमान में निदेशक एवं मुख्य अभियंता स्तर के 04 पदों पर पदस्थापन किया हुआ है जो अनियमित है। संबंधित सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन उपरांत ही वित्त विभाग द्वारा सहमत पदों के अनुरूप पदोन्नति/पदस्थापन किया जावे।

(3) नगर नियोजन अनुभाग

S.No.	Post	Sanctioned Posts			Abolition/Creation of Posts		
		Permanent	Temporary	Total	Abolition	Creation	Revised Strength
1.	SR. DRAFTSMAN	20	0	20	0	4	24
2.	TRACER	3	0	3	2	0	1
3.	SURVEYER(CIVIL)	17	0	17	17	0	0
4.	FEROMAN	3	0	3	1	0	2
5.	INVESTIGATOR GRADE-I	1	0	1	1	0	0
6.	INVESTIGATOR GRADE-II	1	0	1	1	0	0
7.	MODLER	1	0	1	1	0	0
	TOTAL	46	0	46	23	4	27

नोट-

1. नगर नियोजन अनुभाग में 23 पदों को समाप्त करते हुये 04 पदों का सृजन किया जाता है।
2. तालिका में दर्शित पदनामों के अतिरिक्त अन्य पदनामों की स्वीकृत पद संख्या पूर्ववत ही रहेगी।
3. नगर नियोजन अनुभाग में सहायक नगर नियोजक के 5 पदों को छोड़कर शेष सभी श्रेणी के स्वीकृत पद नगर नियोजन विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने हेतु स्वीकृत है। अतः जविप्रा प्रतिनियुक्ति पदों में संशोधन हेतु नगर नियोजन विभाग के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है।

(4) लेखा अनुभाग

S.No.	Post	Sanctioned Posts			Abolition/Creation of Posts		
		Permanent	Temporary	Total	Abolition	Creation	Revised Strength
1.	OSD (TAX COMPLIANCE)	0	0	0	0	1	1
2.	CHIEF ACCOUNT OFFICER	0	0	0	0	1	1
3.	ACCOUNT OFFICER	3	0	3	0	2	5
4.	ASSTT. ACCOUNT OFFICER	7	0	7	0	3	10
5.	ACCOUNTANT	18	0	18	0	7	25
6.	JUNIOR ACCOUNTANT	59	4	63	3	0	60
	TOTAL	87	4	91	3	14	102

नोट-

1. लेखा अनुभाग में 3 पदों को समाप्त करते हुये 14 पदों का सृजन किया जाता है।
2. तालिका में दर्शित पदनामों के अतिरिक्त अन्य पदनामों की स्वीकृत पद संख्या पूर्ववत ही रहेगी।
3. OSD (TAX COMPLIANCE) का पद वित्त (कर) विभाग के पत्र दिनांक 20.06.2022 के पालना में सृजित किया जाता है।
4. सहायक लेखाधिकारी का पदनाम सहायक लेखाधिकारी - प्रथम किया जाता है।
5. लेखाकार का पदनाम सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय किया जाता है।
6. कनिष्ठ लेखाकार के 50 प्रतिशत पद अर्थात् 30 पद अधीनस्थ लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जायेंगे।

(5) विधि अनुभाग

S.No.	Post	Sanctioned Posts			Abolition/Creation of Posts		
		Permanent	Temporary	Total	Abolition	Creation	Revised Strength
1.	MEMBER JDA TRIBUNAL	1	0	1	0	1	2
2.	DY. DIRECTOR(LAW)	1	0	1	0	1	2
3.	ASSTT. LAW OFFICER	2	0	2	0	1	3
4.	LAW ASSISTANT	23	2	25	0	3	28
	TOTAL	27	2	29	0	6	35

नोट-

1. विधि अनुभाग में 6 पदों का सृजन किया जाता है।
2. तालिका में दर्शित पदनामों के अतिरिक्त अन्य पदनामों की स्वीकृत पद संख्या पूर्ववत ही रहेगी।
3. Assistant Law Officer पद का नाम सहायक विधि परामर्शी किया जाता है।
4. सहायक लोक अभियोजक पद का नाम सहायक अभियोजन अधिकारी किया जाता है।
5. विधि सहायक पद का नाम कनिष्ठ विधि अधिकारी किया जाता है।

(6) उद्यानिकी अनुभाग

S.No.	Post	Sanctioned Posts			Abolition/Creation of Posts		
		Permanent	Temporary	Total	Abolition	Creation	Revised Strength
1.	HORTICULTURIST	0	0	0	0	1	1
2.	SR. GARDEN SUPDT.	1	0	1	1	0	0
3.	GARDEN SUPDT.	0	0	0	0	2	2
4.	RANGER GRADE-I	1	0	1	0	1	2
5.	RANGER GRADE-II	0	0	0	0	1	1
6.	GARDEN INSPECTOR	2	0	2	0	2	4
7.	ASSTT. INSPECT. GARDEN	3	0	3	0	5	8
8.	FORESTER	1	0	1	0	1	2
9.	FOREST GUARD	0	0	0	0	5	5
10.	CHIEF BAGWAN	9	0	9	7	0	2
11.	MALI	20	0	20	20	0	0
	TOTAL	37	0	37	28	18	27

नोट-

1. उद्यानिकी अनुभाग में 28 पदों को समाप्त करते हुये 18 पदों का सृजन किया जाता है।
2. तालिका में दर्शित पदनामों के अतिरिक्त अन्य पदनामों की स्वीकृत पद संख्या पूर्ववत् ही रहेगी।
3. रैंजर ग्रेड- I का पदनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड- I किया जाता है।
4. रैंजर ग्रेड- II का पदनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड- II किया जाता है।
5. चीफ बागवान के पद वर्तमान कार्मिकों के पदोन्नत/सेवानिवृत्त होने पर स्वतः समाप्त होजायेंगे।

(7) प्रवर्तन अनुभाग

S.No.	Post	Sanctioned Posts			Abolition/Creation of Posts		
		Permanent	Temporary	Total	Abolition	Creation	Revised Strength
1.	DY. CONTROLER (ENF.)	4	0	4	0	2	6
2.	ENFORCEMENT OFFICER	15	0	15	0	3	18
3.	INSPECTOR	5	2	7	2	0	5
4.	ASSTT. INSPECTOR	2	0	2	2	0	0
5.	FIELD ASSTT.	14	2	16	0	4	20
6.	SUB INSPECTOR	1	0	1	0	1	2
7.	CONSTABLE	24	0	24	0	6	30
	TOTAL	65	4	69	4	16	81

नोट-

1. प्रवर्तन अनुभाग में 4 पदों को समाप्त करते हुये 16 पदों का सृजन किया जाता है।
2. तालिका में दर्शित पदनामों के अतिरिक्त अन्य पदनामों की स्वीकृत पद संख्या पूर्ववत् ही रहेगी।
3. INSPECTOR का नाम प्रवर्तन निरीक्षक किया जाता है।

(8) आई. टी. अनुभाग

S.No.	Post	Sanctioned Posts			Abolition/Creation of Posts		
		Permanent	Temporary	Total	Abolition	Creation	Revised Strength
1.	ANALYST CUM PROGRAMMER (DS)	1	0	1	0	1	2
2.	COMPUTER PROGRAMMER	3	0	3	0	1	4
3.	COMPUTER OPERATOR (ASST. PROGRAMMER)	6	0	6	0	4	10
4.	INFORMATIC ASSISTANT	5	0	5	0	83#	88
	TOTAL	15	0	15	0	89	104

नोट-

- आई टी अनुभाग में 89 पदों का सृजन किया जाता है।
- तालिका में दर्शित पदनामों के अतिरिक्त अन्य पदनामों की स्वीकृत पद संख्या पूर्ववत ही रहेगी।
- #सूचना सहायक के वर्तमान 28 जून कार्यालयों, 55 अभियांत्रिकी जून कार्यालयों हेतु प्रस्तावित 83 पद सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु सृजित किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार पदों में प्रस्तावित कमी/वृद्धि का अनुभाग-वार सारांश निम्नानुसार है:-

S.No.	Section	Abolition	Creation
1	Administration	84	26
2	Engineering	77	10
3	Town Planning	23	04
4	Accounts	3	14
5	Law	0	6
6	Horticulture	28	18
7	Enforcement	4	16
8	I.T.	0	89
	Total	219	183

इस प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण में वर्तमान स्वीकृत 1958 पदों में से 219 पद समाप्त तथा 183 पद नये सृजित करते हुए पदों की संशोधित संख्या 1922 निर्धारित कि जाती है। वर्तमान कार्मिक की सेवानिवृत्ति पर जो पद स्वतः समाप्त होंगे तत्समय उक्त संशोधित संख्या 1922 तदानुसार परिवर्तित (कम) होगी।

अतः जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रत्येक अनुभाग के अनुसार पदों के सृजन/विलोपित (समाप्त) करने की तालिका के नीचे उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निम्न सामान्य शर्तों के आधार पर सहमति प्रदान की जाती है:-

- प्रस्तावित नवीन पदों का वित्तीय भार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा तथा राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कोई अनुदान/सहायता उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।
- संशोधित कैंडर स्ट्रेंथ में प्राधिकरण सेवा/प्रतिनियुक्ति/एक्स कैंडर के पद, विशिष्ट संशोधित अभियुक्तियों को छोड़कर, पूर्वानुसार रहेंगे।
- नवसृजित पद जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्त) विनियम, 1984/संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानुसार भरे जायेंगे।
- प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु प्रस्तावित पदों को संबंधित विभाग की कैंडर स्ट्रेंथ में सम्मिलित करवाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित की जायेगी।
- ज.वि.प्रा. के विभिन्न अनुभागों में जिन पदों के पदनामों में परिवर्तन किया गया है उनकी ग्रेड पे/पे लेवल पूर्व पदनाम के लिये स्वीकृत ग्रेड पे/पे लेवल यथावत रहेगा अर्थात् पदनाम परिवर्तित होने से ग्रेड पे/पे लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102300447 दिनांक 12.09.2023 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

- 801 -
(जुगल किशोर मीणा)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग को आई.डी. संख्या 102300447 दिनांक 12.09.2023 के क्रम में।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, तृतीय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को लेख है कि विभागीय सक्षम स्तर पर दिये गये निर्देशानुसार जेडीए क्षेत्र की सीमाओं के निरन्तर विस्तार के साथ-साथ जेडीए द्वारा अभियान्त्रिकी से संबंधित अनेक वृहद परियोजनाओं का सम्पादन भी किया जा रहा है। इसी कारण राज्य सरकार द्वारा जेडीए में 02 निदेशक (अभियान्त्रिकी एवं परियोजना) की नियुक्ति के अतिरिक्त जेडीए संवर्ग के 02 वरिष्ठतम अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से कार्य व्यवस्था के तहत मुख्य अभियन्ता स्तर के कार्य भी सम्पादित करवाये जा रहे हैं। अतः जेडीए अधिनियम के अन्तर्गत निदेशक (अभियान्त्रिकी) पद को यथावत रखते हुए इसके एक्स पोस्ट फैंक्टो अनुमोदन हेतु पत्रावली पुनः वित्त विभाग को प्रस्तुत की जावे।
11. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
13. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
14. बरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय